न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. छोटुखां पुत्र श्री हुसैनखां जाति लोहार निवासी-भोपालगढ तहसील भोपालगढ जिला-जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ जिला-जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 25.01.2018 जो तहसीलदार भोपालगढ द्वारा प्रकरण संख्या 307/2017-18 अनवान सरकार बनाम छोटुखां में पारित किया गया।

उपस्थितिः- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 15.02.2019

अपीलान्ट छोटुखां पुत्र श्री हुसैनखां जाति लोहार निवासी भोपालगढ तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार, भोपालगढ द्वारा दिनांक 25.01.2018 को प्रकरण संख्या 307/2017-18 बअनवान सरकार बनाम छोटुखां में पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी भोपालगढ ने एक अतिक्रमण रिपोर्ट तहसीलदार भोपालगढ को प्रस्तुत की कि राजस्व ग्राम भोपालगढ (जेबी) की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1896 रकबा 2 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय पर कृषि वर्ष 2074 में अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार भोपालगढ ने प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलार्थी को तलब किया। अपीलार्थी ने दिनांक 25.01.2018 को उपस्थित होकर गवाह सबूत प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा परन्तु कोई अवसर न देकर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के

सिविल कारावास की सजा से एवं जुर्माने से दण्डित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के विपरित होने, पक्षकार को नोटिस जारी कर प्रकरण में पक्षकार की बिना तामिल हुए व बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने, अपीलार्थी को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत जारी नोटिस में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं करने पर भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने, पश्चात्कर्मी अतिक्मी का कोई नोटिस व पूर्व में किये गये अतिक्मण पर बेदखली का कोई प्रमाण नही होने के बावजूद अपीलार्थी को कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने, हल्का पटवारी द्वारा मार्फत भू अभिलेख निरीक्षक अतिक्मण बाबत जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें पूर्व के अतिक्मण बाबत कोई मिसल नम्बर दिनांक खसरा नम्बर इत्यादि अंकित नहीं किये जाने, जनवरी माह में कोई फसल नही होने के बावजूद खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण बाबत कोई जांच किये बगैर आदेश पारित किया जाने, प्रकरण में न्याय के नेसर्गिक सिद्धान्तों की पालना किये बिना आदेश पारित करने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2018 को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, भोपालगढ से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 25.01.2018 को पारित आदेश को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 1896 रकबा 2.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय पर अपीलान्ट द्वारा जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक

भोपालगढ की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार भोपालगढ द्वारा राजस्व ग्राम भोपालगढ (जेबी) के खसरा नम्बर 1896 रकबा 2.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय पर अपीलान्ट का पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमण एवं कब्जा मानते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट ने अपना अतिक्रमण हटा लिया है या 15 दिवस में अतिक्रमण हटा लेता है तो अपीलाधीन आदेश सिविल कारावास की सीमा तक निरस्त माना जाएगा। यदि उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को अपीलान्ट नहीं हटाता है तो अपीलाधीन आदेशानुसार तहसीलदार भोपालगढ को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार भोपालगढ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर